

समाहरणालय, पटना।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक- 1299

दिनांक- 17/08/19


चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मेगा औद्योगिक पार्क के स्थापनार्थ हेतु मौजा- अमहारा, थाना सं०- 44, अंचल-बिहटा, थाना-मनेर, जिला- पटना में कुल 0.09 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.09 एकड़ है और जो मौजा- अमहारा, थाना सं०-44, अंचल-बिहटा, थाना-मनेर, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	240	1120	रैयती	कृषि	0.09	पंचानन्द शर्मा पिता कृष्ण कुमार सिंह वगैरह, सा०- अमहारा, थाना- बिहटा, जिला- पटना	1121	1112	1127	1119

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


17/8/19
समाहर्ता,
पटना।